न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 237/2017

दायर तारीख :– 28.11.2017

1. धीसाराम पुत्र भूरा जाति जाट नि0 काबरों का बास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

—— प्रार्थी

बनाम

1. भूरा पुत्र बिरदा
2. जोधा पुत्र भुवाना
3. शिशपाल पुत्र हरदेव
4. सरदार पुत्र हरदेव

समस्त जाति जाट नि0 काबरों का बास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल, जिला जयपुर

—— अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री राजेन्द्र चौपड़ा, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री झाबरमल चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी

निर्णय

निर्णय दिनांक : 5-7-19

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व प्रार्थी के सह खातेदारों की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 1352 रकबा 21 बीघा 13 विस्वा वाकें ग्राम काबरों का बास प0ह0 रलावता तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है। प्रार्थी व उसके सह खातेदारों की खातेदारी में अंकित है इस प्रकार उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर काबिज होकर प्रार्थी उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी की आराजी के नजदीक में अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 की खातेदारी की आराजी है तथा नजदीकी आराजी के उपरोक्त अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 खातेदार आयेदिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न कर झगड़ा फिसाद पर आमादा रहे है तथा आराजी की सीमा सम्बन्धित अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रखा है तथा प्रार्थी की आराजीयात को अवैधानिक रूप से दबाकर डोकल लगाने पर आमादा रहते है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की आराजी खं0नं0 1352 की सीमा का ज्ञान करवाने हेतु नियमानुसार अप्रार्थी सं0 5 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी सं0 5 ने हल्का पटवारी को आदेश क्रमांक एल. आर/4 दिनांक 02.06.16 को प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान करने का आदेश हल्का पटवारी को प्रदान किया जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 23.06.16 को मौके पर जाकर प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान कर रिपोर्ट तैयार की जिसकी

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है तथा सीमाज्ञान दिनांक 23.06.16 के मुताबिक मौके पर प्रार्थी व उसके सह खातेदारों की भूमि का सीमा के चिन्ह कायम किये गये थे लेकिन अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 जो कि पड़ौसी खातेदार काश्तकार है उक्त चिन्हों को खुर्दबुर्द करते है व निशानात चिन्हों को जानबूझकर मिटाकर प्रार्थी व उसके सह खातेदारों की भूमि में अंदर घुसकर बाजोत करते है व प्रार्थी द्वारा मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते है। इस प्रकार से बार बार प्रार्थी व अप्रार्थीगणों के बीच आयेदिन कोई सीमा को लेकर विवाद न हो व काश्तकारों में आपस में झगड़ा फिसाद न हो ओर ना ही कोई जनहानि हो। प्रार्थी व उसके सह खातेदारों द्वारा कई बार अड़ौस पड़ौस के खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण को ख0नं0 1352 की सीमा पर सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी कर सीमा चिन्हों को स्थायी रूप से करने हेतु काह लेकिन अप्रार्थीगण नहीं करना चाहते है। हल्का पटवारी ने प्रार्थी की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर उपरोक्त रिपोर्ट तैयार कर अप्रार्थी के कार्यालय में दिनांक 23.06.16 को प्रस्तुत की जिसके पश्चात् भी प्रार्थी की आराजी की सीमा सम्बन्धित विवाद उत्पन्न हो रखा है। इस कारण प्रार्थी मुताबिक फर्द रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 23.06.16 के अनुसार प्रार्थी अपनी उक्त आराजी के पत्थरगढ़ी करवाकर उसके आधार पर तारबन्दी करवाना चाहता है जिससे प्रार्थी के कब्जें काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके ओर सीमा सम्बन्धित कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न नहीं हो। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी सं0 5 के समक्ष दिनांक 15.09.17 को जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी सं0 1 ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 5 के कार्यालय से सीमाज्ञान की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की व अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवानें हेतु यह प्रा0पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं0 1 की ओर वकील श्री झाबरमल चौधरी व चन्दनसिंह ने वकालतनामा व जवाब प्रा0पत्र पेश किया।

3. प्रार्थी ने दरतावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2070–2073, नकल नक्शा ट्रेस, नकल फर्द सीमाज्ञान तहसीलदार कि0रेनवाल की दिनांक 23.06.16 आदि पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रार्थी ने अपनी आराजी की पत्थर गढ़ी बावत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी ने अपनी आराजी का दिनांक 23.06.16 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवा रखा है जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान पत्रावली में संलग्न है। ऐसी

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

स्थिति में न्यायालय मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाना न्यायोचित समझता है।

5. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी खं0नं0 1352 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम काबरों का बास प0ह0 रलावता तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 की मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23.06.16 के अनुसार उक्त भूमि में मौके पर चालू रास्तें को बाधित किये बिना पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार कि0रेनवाल को उक्त निर्णय की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5-7-18 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner